न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 20/2017

दायर दिनांक: 05.12.2017

निर्णय दिनांक 10.10.2019

—:अनवान:—

1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व0 राधेश्याम जी सनाढ्य निवासी मोडवा आयु 45 वर्ष तहसील नाथद्वारा
2. प्रकाश पुत्र स्व0 राधेश्याम जी सनाढ्य निवासी मोडवा आयु 27 वर्ष तहसील नाथद्वारा
3. जितेन्द्र पुत्र स्व0 राधेश्याम जी सनाढ्य निवासी मोडवा आयु 21 वर्ष तहसील नाथद्वारा

——— अपीलांट

:: बनाम ::

1. कमलेश कुमार पिता स्व0 वल्लभदास जी सनाढ्य आयु वयस्क निवासी मोडवा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. प्रमोद कुमार उर्फ सत्यनारायण पिता स्व0 वल्लभदास जी सनाढ्य आयु वयस्क निवासी मोडवा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. घनश्याम पिता स्व0 वल्लभदास जी सनाढ्य आयु वयस्क निवासी मोडवा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. राजेन्द्र कुमार उर्फ श्यामसुन्दर पिता स्व0 वल्लभदास जी सनाढ्य आयु वयस्क निवासी मोडवा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. राजस्थान, राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

——— रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय एवं आदेश तहसीलदार, नाथद्वारा नामान्तरण संख्या 2759 दिनांक 24.11.2017 से दुखी एवं असंतुष्ठ होकर।

उपस्थितः—

1 श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2. श्री ईश्वरसिंह सामोता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04
3 श्री कैलाश बोल्या, पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 05

निर्णय

अपीलान्ट ने तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 24.11.2017 नामान्तरण संख्या 2759 से व्यथित होकर यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोडवा मे स्थित आराजी स्व0 वल्लभदास के खातेदारी आधिपत्य मौरूसी मिल्कियत एवं पैतृक होने से विरासत से सभी उत्तराधिकारी के नाम पर दर्ज हुयी है। स्व0 वल्लभदास के पॉच लडके चार लडकिया जीवित है तथा शांता बाई को शामिल करते हुए हरका 1/10 हिस्सा बनता है। पुत्रियों हक त्याग कर दिया इस कारण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होने से स्वर्गीय शांता देवी ने उनका हक और हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वसीयत कर दिया जबकि अपीलांट स्व0 राधेश्याम के वारिस होने से हक हिस्सा अपीलांट में वेस्ट होता है। इस लिए उक्त नामान्तरण को चुनौति दी गयी तथा

यह आधार बताया कि उक्त भूमि पैतृक है तथा अपीलांट को सुने बगैर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। इसलिए उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित।

अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अधिवक्ता बहस सूनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में लिये गये आधारों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संबधित पक्षकार को सूने बगेर ही मनमकसूद तरीके से यह आदेश पारित किया है जो न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। उक्त भूमि पैतृक है और शांता देवी की वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस मे निवेदन किया है कि उक्त नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने मे कोई त्रुटी कारित नहीं की है। उक्त भूमि पैतृक नहीं है बल्कि शांता देवी की खातेदारी भूमि है। जिसे शांता देवी को हर प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार था और उन्होने अपने जीवन काल मे अपनी सम्पत्ति के संबंध मे वसीयतनामा निष्पादित कर पंजीयन करवाया है। इसलिए वसीयत के आधार पर उक्त सम्पत्ति शांता देवी से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 को प्राप्त हुयी है। जिसके संबंध में की गयी नामान्तरण की कार्यवाही विधिसम्मत है वसीयत को अपीलांट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौति नहीं दी है। नामान्तरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। पक्षकार को नियमित वाद से ही हक अधिकार प्राप्त हो सकते है। नियमित वाद भी अपीलांट द्वारा कर रखा है। इसलिए उक्त स्वीकृत नामान्तरण विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा अपील आधारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा सही रूप से स्वीकृत किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा मृतक शांता देवी द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है। पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर उक्त सम्पत्ति मृतक शांता देवी ने अपने चारो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 को उक्त सम्पत्ति प्रदान की गयी है। जिसके आधार पर नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा स्वीकृत किया गया है । वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण मे किसी प्रकार की कोई त्रुटी नहीं पायी जाती है। नामान्तरण की कार्यवाही में पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने में दस्तावेज की वैद्यता को प्रश्नचिन्ह नहीं किया जा सकता है। उक्त अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2459 दिनांक 24.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द